(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 147/2015

बउनवान

1– शिवप्राद पुत्र श्री मदन जाति गुसाई निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारॉ
2– कन्हैयालाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति गुसाई निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारॉ
3– नारायण पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ
4– मांगीलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ
5– मांगीलाल पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू जिला बारॉ
6– ज्ञानचन्द पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारॉ
7– रामरण पुत्र श्री मूलचन्द जाति धाकड निवासी काचरा तह0 अटरू जिला बारां राज0

(अपीलांट)

बनाम

धनराज पुत्र श्री रघुनाथ जाति मेघवाल निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 8/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक **(रेस्पोडेन्टगण)**

निर्णय दिनांक 12.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 8/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.07.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटस् द्वारा वाके ग्राम काचरा तहसील अटरू की आराजी खसरा नं0 206 की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 249 की 0.06 हेक्टर, खसरा नं0 259 की 0.41 हेक्टर, खसरा नं0 266 की 0.10 हेक्टर, खसरा नं0 267 की 0.10 हेक्टर, खसरा नं0 268 की 0.08 हेक्टर, खसरा नं0 326 की 0.33 हेक्टर, खसरा नं0 709 की 0.40 हेक्टर किता 9 रकबा 2.16 हेक्टर जो रेस्पोडेन्ट के खोते की आराजियात है, पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.08.2014 को निर्णय पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया है कि उक्त आराजी से अपीलान्टस् को बेदखल करने का आदेश दिया है।

जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्टस् अपनी स्वयं कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर ही काबिज है, कभी भी अपीलान्टस् ने रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा नही किया है ना ही कभी अपीलान्टस् द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया है। स्वयं रेस्पोडेन्ट उक्त वाद की आड में अपीलान्टस् की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। इसी उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद पेश किया है जो काबिल खारजा होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करने में भारी भूल की है। अपीलान्टस का उक्त भूमियों पर अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा है तथा उसमे प्रतिवर्ष फसल पैदा करते आ रहे है। इस वर्ष भी हांक जोत कर सोयाबीन की फसल की है जो खेतो में खडी है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 20.08.2014 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू प्रकरण संख्या 8/2012 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 8/2014 बउनवान धनराज बनाम शिव प्रसाद वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। उक्त समस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी के है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 8/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त प्रकरण मे अपीलांट के हित प्रभावित नही हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 8/2014 बउनवान धनराज बनाम शिव प्रसाद वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां